(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

छोटू बनाम तहसीलदार पीपलू

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.

प्रकरण संख्या 91 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.25	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी नोटिस प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.05.2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	
27/05/25	[illegible] 20/6/25 [illegible]	
20/06/25	पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड अ./तहसीलदार पीपलू से रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली बाबते बहस दिनांक 25.06.25 को पेश हो।	
25/06/25	पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड अ./उपखण्ड अ. ने बहस का निषेध किया। बहस उपखण्ड अ. सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उपखण्ड अ. की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत प्रा.पत्र खारिज किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाता, जो शामिल मिसल हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर शामिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से शुमार हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner